उत्तराखण्ड सरकार
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग
(क्षेत्र प्रचार प्रभाग)
संख्या 61 /सू0एवंलो0सं0वि0(क्षे.प्र.)11/2006
देहरादून दिनांकः २२ मार्च, 2012

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–333/सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.)11/2006, दिनांक 28.02.2007 के माध्यम से विभागीय अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित करते हुए आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी। इस क्रम में निम्न कार्मिकों ने आपत्ति व्यक्त करते हुए ज्येष्ठता सूची में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया है :–

1. श्री शंकर दत्त रूबाली
2. श्री अजय मोहन सकलानी
3. श्री रणजीत सिंह रावत
4. श्रीमती गीता जोशी।

1– श्री शंकर दत्त रूबाली ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 08.03.2007 में कथन किया है कि विभाग में उनकी नियुक्ति वर्ष 1975 में संरक्षक के पद पर हुई थी। वर्ष 1979 में उन्हें गणक लिपिक (लेखा लिपिक) के पद पर प्रोन्नत किया गया तथा वर्ष 2001 में उन्हें विभाग द्वारा अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर प्रोन्नत (कार्यालय के मत से समायोजित) किया गया है। संबधित के अनुसार उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–195/कार्मिक–2/2002, दिनांक 13 अगस्त, 2002 में उल्लेख है कि ''जंहा पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हों तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से प्रोन्नत व्यक्ति निम्न स्तर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग में पदोन्नत व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे''।संबधित के अनुसार उक्त ज्येष्ठता सूची में दर्शाये गये सभी कर्मचारी उनसे कनिष्ठ वेतनमान में कार्यरत थे। संबंधित ने यह भी उल्लेख किया है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक–1 से 4 तक अंकित कर्मचारियों की उनके बाद संरक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी। अतः उन्हें क्रमांक–1 पर ज्येष्ठता सूची में स्थान दिया जाना चाहिए। श्री रूबाली ने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि यदि वरिष्ठता के निर्धारण में उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वह विवश होकर न्यायालय की शरण में जायेंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर होगी।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि श्री शंकर दत्त रूबाली, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर समायेाजन से पूर्व लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत थे। जबकि उक्त ज्येष्ठता सूची के क्रमांक –1 से 5 तक अंकित कर्मचारी पदोन्नति से पूर्व संरक्षक के पद पर कार्यरत थे। ''उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली –1998'' के अनुसार अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु संरक्षक पद को पोषक संवर्ग में रखा गया है। जबकि उक्त नियमावली के अनुसार लेखा लिपिक का पद अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग के अन्तर्गत नहीं आता। अतः पोषक संवर्ग से अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर समायोजित कर्मचारियों के ऊपर स्थान दिया गया है। इस प्रकार सम्यक विचारोपरान्त श्री शंकर दत्त रूबाली को श्री यशवन्त सिंह के बाद ज्येष्ठता क्रम में क्रमांक –5 पर स्थान दिया जाना उचित पाया गया है।

2– श्री अजय मोहन सकलानी ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 14.03.2007 में कथन किया है कि उपरोक्तानुसार परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची इस कारण त्रुटिपूर्ण है कि ज्येष्ठता सूची में किसी कार्मिक की जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, गृह जनपद, भर्ती स्रोत का उल्लेख नहीं किया गया है।

संबंधित के अनुसार कार्यालय आदेश संख्या–1469/सू.एवं.लो.सं.वि.(क्षे.प्र.)80/2001, दिनांक 25.09.2001 के कमांक 1 से 3 तक अंकित कार्मिक लेखा लिपिक संवर्ग, वेतनमान रू0 4000–6000 में मौलिक रूप से कार्यरत थे तथा कमांक–4 से 8 तक के कार्मिक वेतनमान रू0 3050–4590 में मौलिक रूप से कार्यरत थे संबंधित के अनुसार उक्त ज्येष्ठता सूची में कमांक –1से 5 तक अंकित कार्मिक संरक्षक के पद पर अर्थात् उनसे कनिष्ठ वेतनमान रू0 3050–4590 में कार्यरत थे । जबकि वह स्वयं प्रचार संयोजक, वेतनमान रू0 3200–4900 में कार्यरत थे। संबंधित के अनुसार ''उत्तराखण्ड ज्येष्ठता नियमावली–2002 भाग –दो–ज्येष्ठता की अवधारणा –7 में यह प्राविधान है कि जंहा पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हो तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नत व्यक्ति निम्नतर वेतनमान में पोषक संवर्ग से पदोन्नति व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगे।''इस प्रकार संबंधित के अनुसार उक्त ज्येष्ठता सूची में श्री शंकर दत्त रूबाली को कमांक –1, उन्हें(श्री सकलानी) कमांक –2 तथा श्री रणजीत सिंह रावत को कमांक–3 पर स्थान दिया जाना चाहिए।

श्री अजय मोहन सकलानी से प्राप्त आपत्तियों पर विभाग द्वारा सम्यक विचार किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि श्री सकलानी अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति से पूर्व प्रचार संयोजक के सरप्लस पद पर कार्यरत थे। चूंकि ''उत्तर प्रदेश सूचना ए ंज न सम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अपराजपत्रित) सेवा नियमावली –1998'' के अनुसार अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु संरक्षक पद को पोषक संवर्ग में रखा गया है। जबकि उक्त नियमावली के अनुसार प्रचार संयोजक का पद अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः पोषक संवर्ग से अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर समायोजित कर्मचारियों के ऊपर स्थान दिया गया है। इस प्रकार पोषक संवर्ग वाले कर्मियों को वरिष्ठता में ऊपर स्थान पर तथा समायोजित कर्मियों को उसके बाद निर्धारित कम में रखते हुए श्री अजय मोहन सकलानी को श्री शंकर दत्त रूबाली तथा श्री रणजीत सिंह रावत के मध्य में स्थान दिया जाना सही पाया गया है।

3– श्री रणजीत सिंह रावत ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.03.2007 में कथन किया है कि यदि प्रथम नियुक्ति तिथि से उक्त ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है तो उनकी प्रथम नियुक्ति मई, 1982 में विभाग में हुई थी, जिसके अनुसार उन्हें ज्येष्ठता सूची के कमांक–6 पर स्थान मिलना चाहिए था और यदि समायोजन/प्रोन्नति के दिनांक से ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है तो उन्हें ज्येष्ठता कम में कमांक–5 पर स्थान मिलना चाहिए था। संबंधित के अनुसार ज्येष्ठता सूची न्यायसंगत नहीं है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

श्री रणजीत सिंह रावत से प्राप्त आपत्तियों पर विचारोपरान्त विभाग इस निर्णय पर पहुंचा कि श्री रावत अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति से पूर्व प्रचार संयोजक के सरपल्स पद पर कार्यरत थे तथा प्रचार संयोजक के रूप में श्री अजय मोहन सकलानी से कनिष्ठ थे। चूंकि ''उत्तर प्रदेश सूचना ए ंज न सम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अपराजत्रित) सेवा नियमावली–1998'' के अनुसार अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु संरक्षक पद को पोषक संवर्ग में रखा गया है। जबकि उक्त नियमावली के अनुसार प्रचार संयोजक का पद अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः पोषक संवर्ग से अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों को अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी के पद पर समायोजित कर्मचारियों के ऊपर स्थान दिया गया है। इस प्रकार श्री रावत को ज्येष्ठता सूची में श्री अजय मोहन सकलानी के पश्चात स्थान दिया जाना सही पाया गया है।

4– श्रीमती गीता जोशी ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 06.03.2007 में कथन किया है कि यदि उपरोक्त ज्येष्ठता सूची का निर्धारण प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर किया गया है तो वह सभी कर्मचारियो से ज्येष्ठता कम में प्रथम स्थान पर आती है। यदि ज्येष्ठता का निर्धारण प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर किया गया है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्रीमती गीता जोशी से प्राप्त आपत्तियों के कम में उल्लेखनीय है कि श्रीमती जोशी को उनके मूल संवर्ग (संरक्षक) के ज्येष्ठता कम के अनुसार ही अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची के कमांक–2 पर स्थान दिया जाना सही पाया गया है।

5– श्री शंकर दत्त रूबाली, श्री अजय मोहन सकलानी, श्री रणजीत सिंह रावत एवं श्रीमती गीता जोशी द्वारा उपरोक्तानुसार की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में शासन से परामर्श मांगा गया था उक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर से कोई अभिमत प्राप्त नही हुआ है इसी प्रकार के एक अन्य प्रकरण में शासन द्वारा संरक्षक/डाटा एंट्री आपरेटरों की ज्येष्ठता हेतु प्राप्त आपत्तियों के सम्बन्ध में **शासनादेश संख्या–290/xxii/2010 /01(4) दिनांक 12.8.2010 के माध्यम से परामर्श दिया है कि संरक्षक/डाटा एंट्री आपरेटर के पद पर पूर्व से कार्यरत कार्मिक मौलिक रूप से नियुक्त होने के कारण वरिष्ठता में ऊपर स्थान तथा समायोजित कर्मियों को उनके बाद रखा जाय। समायोजित कर्मियों की आपसी वरिष्ठता उनके संवर्ग/पदों के अनुसार निर्धारित की जाय।**

6– चूंकि उपरोक्त कार्मिक श्री शंकर दत्त रूबाली, श्री अजय मोहन सकलानी, श्री रणजीत सिंह रावत का समायोजन दूसरे संवर्ग से अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी संवर्ग में किया गया है जबकि श्री भुवन चन्द तिवारी, श्रीमती गीता जोशी, श्री नारायण सिंह बिष्ट एवं श्री यशवंत सिंह पूर्व से ही मूल संवर्ग में कार्यरत हैं। अतः उपरोक्त कार्मिकों द्वारा कथित आपत्तियां तथ्यहीन/निराधार होने के कारण निरस्त की जाती है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण उपरोक्तानुसार करते हुए अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों की अन्तिम पारस्पिरिक ज्येष्ठता, निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्रं.सं.	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति/समायोजन/प्रोन्नति की तिथि
1.	श्री भुवन चन्द तिवारी	15.08.1960	01.10.2001
2.	श्रीमती गीता जोशी	25.12.1956	26.09.2001
3.	श्री नारायण सिंह बिष्ट	01.02.1960	29.09.2001
4.	श्री यशवन्त सिंह	08.01.1962	27.09.2001
5.	श्री शंकर दत्त रूबाली	15.03.1952	02.10.2001
6.	श्री अजय मोहन सकलानी	10.05.1958	27.09.2001
7.	श्री रणजीत सिंह रावत	01.06.1954	01.10.2001
8.	श्री प्रकाश सिंह भण्डारी	01.06.1962	16.10.2004

अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों के पद पर की गयी नियुक्तियां/पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल, नैनीताल में दाखिल रिट पिटीशन संख्या–1520 (s/s) आफॅ 2006 (श्री रमेश लाल आर्य बनाम राज्य) में पारित आदेश के अधीन होंगी।

21.3.2012

(विनोद शर्मा)
महानिदेशक

संख्या (1)/सू0एवंलो0सं0वि0(क्षे.प्र.)11/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सबन्धित जनपदों के जिला सूचना अधिकारियों को इस आशय के साथ प्रेषित कि संबंधित अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों को उपरोक्त आदेश अपने स्तर से भी परिचालित करा दें।
2. संबंधित कर्मचारियों को।
3. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।

o/c

(डा0 अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक